मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 898
05.02.2021 को उत्तर के लिए

ई-अपशिष्ट का निपटान

898. श्री अजय कुमार मंडल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ई-अपशिष्ट में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा ई-अपशिष्ट के निपटान के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ई-अपशिष्ट के निपटान में कार्य करने वाले कई कामगार विभिन्न रोगों से ग्रस्त हुए, जिससे उनकी मृत्यु हो जाना भी शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, ई-अपशिष्ट का प्रति वर्ष सृजन बढ़ रहा है। सरकार द्वारा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2016 के तहत, देश भर में अपशिष्ट सृजन को सूचीबद्ध करने के प्रावधान किए गए हैं। उक्त नियमों के तहत, ई-अपशिष्ट के सृजन की सूची तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को सौंपी गई हैं।

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2016 दिनांक 01.10.2016 से लागू है। तदनुसार, सीपीसीबी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 21 प्रकार के अधिसूचित इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रोनिक उपकरण (ईईई) के बिक्री आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर ई-अपशिष्ट के सृजन का आकलन किया है। वित्तीय वर्ष 2017-2018, वित्तीय वर्ष 2018-2019 और वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान ई-अपशिष्ट के सृजन का अनुमान निम्नवत दिया गया है :

- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, 21 प्रकारों के विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के लिए ई-अपशिष्ट का अनुमानित सृजन 7,08,445 टन है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, 21 प्रकारों के विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के लिए ई-अपशिष्ट का अनुमानित सृजन 7,71,215 टन है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 21 प्रकारों के विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के लिए ई-अपशिष्ट का अनुमानित सृजन 10,14,961.2 टन है।

(ख) और (ग) पर्यावरणीय दृष्टि से उचित प्रकार से ई-अपशिष्ट के निपटान के लिए सरकार ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2016 अधिसूचित की है। विनियमों का अभिप्राय ऐसे सभी अपेक्षित कदमों को उठाना है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ई-अपशिष्ट प्रबंधन इस प्रकार से किया जाए, जो ऐसे अपशिष्ट के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी प्रतिकूल प्रभाव से स्वास्थ्य और पर्यावरण को संरक्षित कर सके। उक्त नियमावली दिनांक 01.10.2016 से प्रभावी है और विशिष्ट उद्देश्य निम्नानुसार है :

- ईपीआरए प्राधिकार (ईपीआरए) के माध्यम से ई-अपशिष्ट का एकत्रण, भण्डारण, ढुलाई और पर्यावरणीय दृष्टि से विखंडन और पुन:चक्रण प्रणाली का प्रबंधन करने के लिए उत्पादकों का विस्तारित उत्तरदायित्व ।
- दक्ष ई-अपशिष्ट एकत्रण कार्यतंत्र की स्थापना को बढ़ावा देना और प्रोत्साहन प्रदान करना ।
- ई-अपशिष्ट के प्राधिकृत विघटकों और पुन: चक्रकों के माध्यम से पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित और उचित पुन:चक्रण को बढ़ावा देना।
- अवैध पुन:चक्रण/पुन:प्राप्ति प्रचालनों को कम करना।
- इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रोनिक घटकों में खतरनाक पदार्थों को कम करना।

इन नियमों के अंतर्गत ई-अपशिष्ट का प्रबंधन मुख्य रूप से विस्तृत उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पर आधारित है। ईपीआर के तहत, नियमों की सूची-I में सूचीबद्ध ईईई के उत्पादकों को अपने उत्पादों जिनकी समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, उनके प्रबंधन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ई-अपशिष्ट नियमावली के तहत, सीपीसीबी, ईईई के उत्पादकों को ईपीआर प्राधिकार जारी कर रहा है, जिसमें उन्होंने वार्षिक आधार पर ई-अपशिष्ट को एकत्रित करने का लक्ष्य दिया गया है। आज की तारीख में 1675 उत्पादकों को ईपीआर प्राधिकार दिया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीपीसीबी द्वारा ईपीआरए उत्पादकों को दिया गया ई-अपशिष्ट एकत्रण लक्ष्य लगभग 1,54,242.74 टन था। इसके अतिरिक्त 32 एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, लगभग 1,64,663 टन ई-अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया गया था। देश में, ई-अपशिष्ट के 407 प्राधिकृत विघटक/पुन:चक्रक हैं, जिनके पास 11,10,103.22 टन प्रसंस्करण करने की क्षमता है।

(घ) और (ड.) इलैक्ट्रोनिक उत्पाद और इलैक्ट्रिकल उपकरण अपने प्रयोग काल के पश्चात, पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते, यदि उन्हें पर्यावरणीय दृष्टि से अच्छे ढंग से भण्डारित और संसाधित किया जाता है। तथापि, यदि ई-अपशिष्ट को खोला जाता है और इसमें से कीमती और अर्ध-कीमती सामग्री को निकालने के लिए अवैज्ञानिक पद्धतियां प्रयोग की जाती हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है और पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है। तथापि, पर्यावरण पर ई-अपशिष्ट द्वारा होने वाली क्षति के आकलन के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है।

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2016 के अंतर्गत, ई-अपशिष्ट के विघटन और पुन:चक्रण में शामिल कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य श्रम विभाग या संबंधित राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2016 के नियम 12(2) के अनुसार, राज्य में श्रम विभाग या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अन्य कोई सरकारी एजेंसी निम्नानुसार कार्य करेगी:

(क) विघटन और पुन:चक्रण में शामिल कर्मचारियों की पहचान और पंजीकरण सुनिश्चित करेगी;
(ख) विघटन सुविधाओं की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसे कर्मचारियों के समूहों को तैयार करने में सहायता करेंगी;
(ग) विघटन और पुन:चक्रण में शामिल कर्मचारियों के लिए औद्योगिक कौशल विकास कार्यकलाप शुरू करना;
(घ) वार्षिक निगरानी और विघटन और पुन:चक्रण में शामिल कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का कार्य करना;

*****